अभ्यर्थियो के लिए अनुदेश /INSTRUCTIONS FOR CANDIDATES	
	इस परीक्षा में प्रवेश अस्थायी है । यदि बाद मे पाया जाता है कि आप पात्रता की किसी शर्त को पूरा नहीं करते तो आपकी
	अभ्यर्थिता समाप्त कर दी जाएगी और इसे समाप्त किये जाने के विरुद्ध किसी प्रकार की अपील नहीं स्नी जाएगी । अतः
	सलाह दी जाती है कि आप सावधानीपूर्वक जांच कर ले कि आप पात्रता की सभी शर्तो को पूरा करते है ।
	THE ADMISSION TO THE EXAMINATION IS PROVISIONAL. IF IT IS FOUND LATER ON THAT YOU
	DO NOT FULFILL ANY OF THE CONDITIONS OF ELIGIBILITY YOUR CANDIDATURE WILL BE
	CANCELLED AND NO APPEAL AGAINST SUCH CANCELLATION WILL BE ENTERTAINED. YOU
	ARE, THEREFORE, ADVISED TO CHECK CAREFULLY AND SATISFY YOURSELF THAT YOU
	FULFILL ALL THE CONDITIONS OF ELIGIBILITY.
1.	अभ्यर्थी सिर्फ प्रवेश–पत्र में निर्धारित केंद्र पर ही परीक्ष दे । ऐसा न करने पर अभ्यर्थी के किसी दावे पर विचार नहीं किया
1.	जाएगा ।
	Candidate must take the typing test only at the venue specified in the Admit Card, Failure to do so will
	deprive the candidate of his/her claim to any further consideration, whatsoever.
2.	परीक्षा आरंभ होने के बाद किसी भी अभ्यर्थी को परीक्षा हॉल मे प्रवेश की अनुमति नहीं दी जाएगी ।
2.	No candidate would be allowed in the examination hall after commencement of the test.
3.	प्रवेश पत्र के अतिरिक्त कोई भी कागज़, सेल्यूलर फोन, डिजिटल डायरी, केलकुलेटर और अन्य इलेक्ट्रोनिक संचार साधनो को
J.	परीक्षा भवन में लाने की अनुमति नहीं है।
	Except admit card any paper, Cellular phone, Digital Diary, Calculator or any other electronic
	communication devices are not allowed in the examination hall.
4.	यदि कोई अभ्यर्थी किसी प्रकार के अन्चित साधन का प्रयोग करता पाया गया तो उसे संबन्धित परिक्षा हेत् अयोग्य ठहराया
''	जाएगा । अभ्यर्थी यह भी नोट करें कि परीक्षा हॉल एवं परीक्षा केंद्र में उनके द्वारा किसी भी प्रकार की अनुशासनहीनता होने
	पर उन्हे एनपीएल की सभी परीक्षाओं से अयोग्य ठहराया जाएगा ।
	Any candidate found to be using unfair means of any nature shall be liable to be disqualified from the
	examination. Candidates should also note that any indiscipline on their part in the examination hall or
	venue of test will lead to their disqualification.
5.	किसी भी अभ्यर्थी को बिना प्रवेश पत्र और उचित फोटो पहचान पत्र के परीक्षा मे प्रवेश नहीं दिया जाएगा । अभ्यर्थी पहचान पत्र
	के रूप मे पेन कार्ड/वोटर पहचान पत्र/आधार कार्ड/ ड्राइविंग लाइसेंस/पास पोर्ट की मूलप्रति तथा एक फोटो प्रतिलिपि अपने साथ
	अवश्य लाये । इसके अलावा अन्य कोई भी पहचान पत्र मान्य नहीं होगा ।
	No candidate will be allowed to appear in the examination without admit card and valid photo identity
	Proof i.e. PAN card / Voter ID card / Aadhar Card / Driving License /Passport alongwith a photocopy of
	the same. No other ID proof shall be acceptable for appearing in the typing test.
6.	परीक्षा हॉल मे धूम्रपान करना अथवा चाय/खाद्य लेना सख्त मना है ।
	Smoking or taking tea/ eatables in the examination hall is strictly prohibited.
7.	कम्प्यूटर परीक्षा केंद्र पर उपलब्ध कराये जाऍगे ।
	Computer will be provided at the Examination Centre.
8.	टाइपिंग टेस्ट केवल योग्यता (क्वालिफाईंग) प्रकृति का है ।
	Typing test is only of qualifying nature.
9.	अंग्रेजी/हिंदी में टाइपिंग परीक्षा का मूल्यांकन सीएसआईआर पत्र सं. ७-४(३)/२००६-आरएंडए दिनांक १२.०३.२००७,
	5–1(116)/2011–पीडी दिनांक 23.04.2014 और 13.07.2015 में निहित निर्देशों के अनुसार किया जाएगा, जोकि वेबसाइट
	www.onecsir.res.in पर उपलब्ध है।
	Typing test in English/Hindi will be evaluated as per instructions contained in CSIR letter No. 7-4(3)/2006-
	R&A dated 12.03.2007, 5-1(116)/2011-PD dated 23.04.2014 and 13.07.2015 available on the website
	www.onecsir.res.in
10.	उम्मीदवार जिन्होंनें अंग्रेजी को टाइपिंग टेस्ट के माध्यम के रूप में चुना है उन्हें 35 शब्द प्रति मिनट और जिन्होंनें हिंदी को टाइपिंग
	टेस्ट के माध्यम के रूप में चुना है उन्हें 30 शब्द प्रति मिनट की टाइपिंग की गति से टाइप करना होगा । 35 शब्द प्रति मिनट
	और 30 शब्द प्रति मिनट (डब्ल्यूपीएम) क्रमशः 10500 कुंजी प्रति घंटा/9000 कुंजी प्रति घंटे (केडीपीएच) के अनुरूप हैं।
	Candidates who have opted for English as a medium of typing test should have typing speed of 35 words
	per minute and those opted for Hindi as a medium of typing test should have typing speed of 30 words
	per minute. 35 words per minute and 30 words per minute (wpm) correspond to 10500 key depressions
	per hour / 9000 key depression per hour (KDPH) respectively.

11. टाइपिंग टेस्ट का माध्यम वहीं होगा जोकि उम्मीदवार द्वारा अपने प्रार्थना पत्र में धोषित किया गया है । जैसा कि इस संबंध में सीएसआईआर-एनपीएल को प्रस्तुत किया गया है और वह किसी भी परिस्थिति मं बदला नहीं जाएगा । इस संबंध में कोई अनुरोध स्वीकार नहीं किया जाएगा ।

The medium of typing test will be the same as declared by the candidate in his/her application submitted to CSIR-NPL in this regard and will not be changed under any circumstances. No request in this regard will be entertained.

विकलांग (VISUALLY HANDICAPPED) (वीएच) का निर्धारण दिए गए टेक्स्ट पैसेज को 10 मिनट में पूर्ण करने के अध्यहर पर टाइपिंग की गित की शुद्धता (accuracy) का निर्धारण दिए गए टेक्स्ट पैसेज को 10 मिनट में पूर्ण करने के आधार पर किया जाएगा । नेत्रहीन विकलांग उम्मीदवारों (40 प्रतिशत विकलांगता और ऊपर) को 30 मिनट प्रदान किए जाएंगे। VH के आरक्षण को लाभ उठाने के लिए केवल 40 प्रतिशत या अधिक की नेत्रहीन विकलांगता वाले उम्मीद्वारों को नेत्रहीन विकलांग (VISUALLY HANDICAPPED) (वीएच) के रूप में माना जाएगा ।

The speed will be adjudged on the accuracy of typing on Computer of a given test passage in 10 minutes. Visually Handicapped candidates (with 40% disability and above) will be allowed 30 minutes. Only those candidates with visual disability of 40% or more would be considered as VISUALLY HANDICAPPED (VH) for availing reservation for VH.

13. टाइपिंग टेस्ट के लिए सीएसआईआर-एनपीएल द्वारा प्रत्येक नेत्रहीन विकलांग (VISUALLY HANDICAPPED) (वीएच) उम्मीदवारों को पैसेज डिक्टेटर उपलब्ध कराया जाएगा । निर्धारित समय सीमा के भीतर पैसेज डिक्टेटर, वीएच उम्मीदवार को अनुच्छेद पढ़कर सुनाएगा ।

Passage dictators will be provided to each of the Visually Handicapped (VH) candidates by CSIR-NPL for the Typing test. The Passage Dictators will read out the passage to the VH candidates within the allotted time period.

14. एक उम्मीदवार जो शारीरिक विकलांगता की वजह से टाइपिंग टेस्ट लेने के लिए स्थायी रूप से अयोग्य होने का दावा करता हो, ऐसे उम्मीदवार को सीएसआईआर-एनपीएल के सक्षम प्राधिकारी के पूर्व अनुमोदन के साथ, परीक्षा में उपस्थित होने एवं योग्यता प्राप्त करने से छूट दी जा सकती है । सीएसआईआर-एनपीएल को निर्धारित प्रोफॉर्मा में सक्षम मेडिकल प्राधिकारी द्वारा प्रमाणित टाइपिंग टेस्ट के लिए उसकी शारीरिक विकलांगता के लिए स्थायी रूप से अयोग्यता प्रमाणपत्र भेजा जाए।

A candidate who claims to be permanently unfit to take the typing test because of a physical disability may, with the prior approval of the Competent Authority of CSIR-NPL, be exempted from the requirement of appearing and qualifying at such typing test, provided such a candidate has already submitted a request alongwith the appropriate Medical Certificate to the CSIR-NPL from the competent Medical authority, declaring him/her to be permanently unfit for the Typing Test because of a physical disability.

15. यदि कोई अभ्यर्थी जो पीएच व्यक्तियों या पीएच व्यक्तियों के लिए विशेष रोजगार एक्सचेंज से जुड़ी मेडिकल बोर्ड से व्यावसायिक पुनर्विकास केंद्र (वीआरसी) से जुड़े मेडिकल बोर्ड से मेडिकल सर्टिफिकेट प्रस्तुत करता है, तो टाइपिंग टेस्ट से छूट के लिए उनका किया गया दावा स्वीकार किया जायेगा । अगर वह सिविल/आर्थोपेडिक सर्जन से मेडिकल सर्टिफिकेट प्रस्तुत करता है, तो उसका मामला सरकारी अस्पताल या मेडिकल बोर्ड में मेडिकल बोर्ड को भेजा जाएगा, जिसमें वीआरसी/ विशेष रोजगार एक्सचेंज से पीएच व्यक्तियों को क्लीयरेंस के लिए भेजा जाएगा और उनकी उम्मीदवारी निश्चित रूप से अनंतिम होगी तथा भर्ती के किसी भी स्तर पर या चयन के बाद भी रदद की जा सकती है ।

If a candidate who has submitted a medical certificate from the Medical Board attached to Vocational Rehabilitation Centre (VRC) for PH persons or from the Medical Board attached to Special Employment Exchange for PH persons, his/her claim for <u>exemption from typing test</u> would be accepted. However, if, he/she has submitted a Medical Certificate from Civil/Orthopaedic Surgeon, his/her case would be referred to a Medical Board in a Government Hospital or Medical Board attached to VRC / Special Employment Exchange for PH persons <u>for clearance</u> and candidature of such a candidate will be PURELY PROVISIONAL.

16. टाइपिंग परीक्षा में उपस्थित होने के लिए किसी भी प्रकार के यात्रा भत्ता / दैनिक भत्ता का भुगतान नहीं किया जाएगा ।

No TA/DA will be paid for appearing in the typing test.